झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद।

विषयः– **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 1,65,000/– (रू0 एक लाख पैंसठ हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित विभाग के पत्रांक–257 दिनांक–21.03.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 03/योजना दिनांक 27.05.2024 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2024–25 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेमिनार/समारोह/कार्यशाला आदि के निमित रोजगार मेले एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित (Fuculty Development Programme) किये जाने के निमित कुल 1,65,000/– (रू0 एक लाख पैंसठ हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की जाती है–

क्र0	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड़ सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 43S220300003A7010321
2.	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	1,65,000.00
	कुल	**1,65,000.00**

2. उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा। विपत्र कोड़ – 43S220300003A7010321
3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।
4. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी नियमानुसार करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश पत्रांक–257 दिनांक–21.03.2024 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से नियमानुसार किया जाएगा तथा राशि भुगतान में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया जाय।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाय।
12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /रॉची, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15/12/बजट /रॉची, दिनांक– 07.10.2024
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/बजट पदाधिकारी/निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/X/24

सरकार के अपर सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 2.VPP-35/15/12/BUDGET दिनांक - 07-Oct-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टिट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय **State Scheme**	63500	DHNSCT033 RAJESH KUMAR I/C PRINCIPAL GOVT.POLYT.DHANB 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	165,000.00 रुपये एक लाख पैसठ हजार

State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288)

Centeral Scheme : NA

योग: रुपये एक लाख पैसठ हजार 165,000.00

क्रमिक योग:

(SUNIL KUMAR)
ADDITIONAL SECRETARY

 117.233.191.88 Run Date: 7/10/2024